सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:— 89 / प्रा0पत्र / 2023 दायरा दिनांक :—14.06.2023

GCMS ID-2023 / 242

बउनवान

1. मंजु देवी आयु 50. पत्नी स्व० भवर सिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बूंदी

प्रार्थीया

बनाम

1. केलाश बाई आयु बालिग पुत्री स्व० कल्याण जाति दरोगा निवासी ग्राम धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बूंदी
2. गौविंद आयु बालिग पुत्र स्व० कल्याण जाति दरोगा निवासी ग्राम धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बूंदी
3. नंदलाल आयु बालिग पुत्र स्व० कल्याण जाति दरोगा निवासी ग्राम धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बूंदी
4. राजू आयु बालिग पुत्र स्व० कल्याण जाति दरोगा निवासी ग्राम धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बूंदी
5. रामकन्या आयु बालिग पुत्री स्व० कल्याण जाति दरोगा निवासी ग्राम धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बूंदी
6. राजस्थान राज्य, जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन।
वकील अप्रार्थी :— एक पक्षीय कार्यवाही।

निर्णय दिनांक :— 30 / 01 / 2026

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि सम्वत 2076—79 के खाता सं 295 के खसरा सं 1709 रकबा 0.4613 है0 वाके ग्राम धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बूंदी स्थित है वर्तमान में खातेदार के स्थान पर उक्त भूमि में अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

1 से 5 प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा है एवं 1/7 हिस्सा श्यामा बाई पत्नी स्व० कल्याण जी दारोगा का है एवं 1/7 हिस्से पर रामभरोस पुत्र कल्याण अंकित है श्यामा बाई का स्वर्गवास हो चुका है उसके वारिसान प्रार्थी व अप्रार्थीगण है जहा तक रामभरोस का प्रश्न है रामभरोस प्राथिया के पति भवरसिंह का सरकारी दस्तावेजो मे अंकित नाम है। कल्याण जी के वारिसान अप्रार्थीगण 1 से 5 व रामभरोस व श्यामा बाई को बताया गया है। सही तथ्य तो यह है कि रामभरोस का नाम कल्याण जी का फोती इंतकाल खुलते समय त्रुटिवश अंकित हो गया है। वास्तव में रामभरोस के स्थान पर कल्याण जी के पुत्र का नाम भवंरसिंह है इस बात का पता प्राथिया के पति का स्वर्गवास होने पर उनके फोती इंतकाल खुलाने की कार्यवाही करने पर पता चला कि जमाबंदी मे उसके पति का नाम ही नही है। बल्कि रामभरोस नाम अंकित है जबकि सरकारी दस्तावेजो ने प्रार्थिया के पति का नाम भवर सिंह है. वास्तव में कल्याण जी की मृत्यु होने पर उनके फोती इंतकाल खुलते समय प्रार्थिया के पति का घरेलु नाम रामभरोस अंकित करा दिया। उक्त इंद्राज प्रार्थिया के अधिकारो के विरुद्ध प्रभावहीन है। रामभरोस नाम का कोई पुत्र नहीं है वास्तव में रामभरोस ही भंवरसिंह है जिसे दुरस्त कराया जाना आवश्यक है इस हेतु राजस्व अधिकारियो से हा लेकिन उनके द्वारा न्यायालय में इद्राज दुरस्ती की कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया। खाता संख्या 295 में प्रार्थिया के पति के घरेलू नाम रामभरोस के स्थान पर भवर सिंह दुरस्त किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थिया अपना फोती इंतकाल खुला सके। उक्त रामभरोस का नाम अंकित होने का तथ्य प्रार्थिया के पति का स्वर्गवास होने पर फोतीइंतकाल हेतु पटवारी हल्का के पास जाने और उनके द्वारा भवर सिंह का नाम न होना बताने ततपश्चात जमाबंदी की नकल 28.03.23 को लेने एंव पुरान रेकोर्ड देखकर इंतकाल की नकल हेतु 18.04.23 को आवेदन करने और इंतकाल की नकल 21.04.23 को प्राप्त होने पर कल्याण जी के वारिसान में प्रार्थिया के पति भवरसिंह के नाम के स्थान पर उनका घरेलु नाम रामभरोस अंकित कर दिया इससे पहले प्रार्थिया को जानकारी नहीं थी। रामभरोस व भवरसिंह एक व्यक्ति है अलग–2 नहीं है। भूमिया श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित है अतः श्रीमान को यह प्रार्थना पत्र सुनने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस व उचित तलवाने पर पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि गाम धोवडा की जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता से 295 मे रामभरोस पुत्र कल्याण के नाम पर भवंरसिंह पुत्र कल्याण दुरस्त किये जाने की आज्ञा प्रदान करे अन्य न्यायोचित सहायता जो प्रार्थिया प्राप्त करने की अधिकारी हो दी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 बावजूद तामिलों के अनुपस्थिति रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 22.12.2025 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 6 परोकार सरकार की ओर से नायब तहसीलदार दबलाना की जॉच रिपोर्ट पत्रांक :–राजस्व/2025/617 दिनांक :– 25.04.2025 के मुताबिक ग्राम धोवडा प0म0 धोवडा के खाता संख्या 295 में प्रार्थीया के पति का नाम रामभरोष पुत्र कल्याण सहखातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों/सहखातेदारान अनुसार उक्त खाता नम्बर में दर्ज रामभरोष पुत्र कल्याण व भंवरसिंह पुत्र कल्याण एक ही व्यक्ति के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज रामभरोष पुत्र कल्याण के स्थान पर प्रार्थी के पति का शुद्ध नाम भंवरसिंह पुत्र कल्याण दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीया के पति को उक्त भूमि विरासत से प्राप्त हुई।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीया की बहस सुनी। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के पति का सही नाम भंवरसिंह पुत्र कल्याण है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एंव नायब तहसीलदार दबलाना से प्राप्त जॉच रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण–पत्र, जनआधार कार्ड, पेश किए है जिसमें प्रार्थीया के पति का सही नाम भंवरसिंह पुत्र कल्याण है। प्रकरण में जॉच रिपोर्ट नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा भी प्रार्थीया द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: <u>क्रियात्मक आदेश</u> :–

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम धोवडा प0मं0 धोवडा के खाता संख्या 295 में दर्ज प्रार्थीया के पति के नाम रामभरोष पुत्र कल्याण के स्थान पर भंवरसिंह पुत्र कल्याण शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :–30.01.2026 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

30/01/2026

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446